संख्या-1/2015/3404/71-2-14-सी0एम0यू0-26/2014

प्रेषक,

ऋषिकेश दुबे,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक 05 जनवरी, 2015**

विषय- वेतन समिति (2008) के नवम प्रतिवेदन भाग-1 में राजकीय विभागों के अवर अभियन्ता (सिविल)/विद्युत/यांत्रिक पदों के सन्दर्भ में की गई संस्तुतियों को किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ के अवर अभियन्ता (सिविल) /विद्युत/यांत्रिक पदों पर लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति (2008) के नवम प्रतिवेदन भाग-1 में राजकीय विभागों के अवर अभियन्ता संवर्ग के पदों के सम्बन्ध में की गई संस्तुतियों पर शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-2036/दस-54(एम)/2008टी0सी0, दिनांक 17 अगस्त, 2010 में लिये गये निर्णयों तथा शासनादेश सं0-वे0आ0-2-664/दस-54(एम)/2008टी0सी0, दिनांक 26 सितम्बर, 2013 में लिये गये निर्णयों, जिसमें छत्रपति शाहू जी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ (परिवर्तित नाम के0जी0एम0यू0 लखनऊ) के सामान्य कोटि के विभिन्न पदों/संवर्गो पर राजकीय मेडिकल कालेजों/राजकीय विभागों के सामान्य कोटि के विभिन्न पदों/संवर्गों के सम्बन्ध में लागू व्यवस्था के अनुरूप व्यवस्था निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है, के क्रम में राज्यपाल महोदय के0जी0एम0यू0 लखनऊ के अवर अभियन्ता (सिविल /विद्युत,/यांत्रिक) पदों जिन पर सीधी भर्ती की अर्हता हाईस्कूल के साथ अभियन्त्रण में 03 वर्षीय डिप्लोमा निर्धारित है, पर वेतनमान रू0 4500-7000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड-1 रू0 5200-20200 ग्रेड वेतन रू0 2800) के स्थान पर वेतन बैण्ड-2 (रू0 9300-34800) तथा ग्रेड वेतन रू0 4200/- दिनांक 01-01-2006 से काल्पनिक रूप से स्वीकृत करते हुए वास्तविक लाभ दिनांक 17 अगस्त, 2010 से स्वीकृत किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- उपर्युक्त संशोधित वेतनमान में सम्बन्धित कार्मिकों का वेतन निर्धारण वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-वे0आ0-2-577/दस-59(एम)/2008, दिनांक 29 जून, 2010 एवं सपठित शासनादेश सं0-वे0आ0-2-841/दस-2009-59(एम)/2008, दिनांक 24 दिसम्बर, 2009 में वर्णित व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-वे0आ0-1-976/दस-2014, दिनांक 26 दिसम्बर, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(ऋषिकेश दुबे)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-1/2015/3404(1)/71-2-14-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. कोषाधिकारी, लखनऊ।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. वित्त अधिकारी, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (बजट) अनुभाग-1/2।
6. वित्त(वेतन आयोग) अनुभाग-1
7. स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ0प्र0 लखनऊ।
8. गार्डफाइल।

आज्ञा से

(ऋषिकेश दुबे)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।